न्यायालय : अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 732 / 2012
सीआइएस 500.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 19.03.2024 वाद पुकारा गया। मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 26.08.2022 के अन्तर्गत कहा गया है कि वादीगण द्वारा कुछ कागजात पूर्व में दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज है जिन्हें प्रदर्श अंकित करने की आवश्यकता है । यह कि मामले में न्यायालय का आदेश हो गया है और बंटवारा मुकदमा सं 199 / 85 की निर्णय , डिक्री प्रदर्श हो गयी है परंतु अंतिम डिक्री का पार्ट कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श होना छुट गया है यह कि फाइनल डिक्री में सर्वे जानकार अधिवक्ता का प्रतिवेदन डिक्री का पार्ट होता है अतः डिक्री में संलग्न कमिश्नर प्रतिवेदन को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में कमिश्नर रिपोर्ट लोक दस्तावेज नहीं है उसे उसे प्रदर्श के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु बहुत सारे दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये गये हैं । मामले के सम्यक निस्तारण हेतु दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है । मामले में न्यायालय **अब्दुल रहमान तथा अन्य बनाम मोहम्मद कारू तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.11.18 में माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा, पटना उच्च न्यायालय के पी0एल0जे0आर0 2019 (1) –376 में पारित आदेश का अवलोकन करती है जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के संबंध में कहा है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज या आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसे विपक्षी पक्षकार के आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य बहस के समय देखा जा सकता है।** अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय वादी के आवेदन को स्वीकृत करती है और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वे जानकार कमिश्नर प्रतिवेदन को आपत्ति के साथ प्रदर्श के रूप में अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)